



IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

0

Process Id: 204512/2015

WP/19113/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of

Judicature

at Jabalpur

Adm.

Fixed for 18-01-2016

WP-DA-7

Respondent No. 1

महय प्रदेश शासक

वंजी क 121 |बास/सा-3/ दिसांक 05 | 02 | 16

गजरव (ज्ञाचा - 3) विभाग

To,

The State Of Madhya Pradesh, Secretary Revenue Department Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 22-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 19113/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Manish Jain** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/19113/2015**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.



31415

Your faithfully

0

DEPUTY REGISTRAR

as S

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल आदेश

भोपाल, दिनांक 8/3/20/6_

क्रमांक एफ 7-3/2016/सात-3 — सिविल प्रकिया संहिता, 1980 (1909) का अधिनियम संख्या क्रमांक (5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रकरण क्रमांक.(1) रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी 19113/2015 — श्री मनीष जैन विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में एस.डी.ओ. सुहागपुर जिला होशंगाबाद को मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ—साथ ऐसी नीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार, उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस

विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा।

(5) उक्त रिपोर्ट सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज, पत्र भेजेगा :--

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को उक्त रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

 (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची , जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिए आवश्यक कागज – पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी 'चाहिए।

(7) मामले की तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों के स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

(8) जब भी कोई आदेश/निर्णय/विशिष्टता मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

(9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।

(10) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने,रिपोर्ट बनाने,राय प्राप्त करने

और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।

(11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नही कर दिया जाए।

(12) प्रभारी अधिकारी मामला करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अपकटित / डूबी हुई नही रह जाए।

(13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की प्रति भी प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए जहां किसी वाद में प्रकम में पारित किये गये किसी भी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से

अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) अग्रेषित करें।

(समन रायकवार) अवर सचिव म.प्र.शासन् राजस्व विभाग

प.कमांक एफ 7-3/2016/सात-3, प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

- महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जबलप्र/ग्वालियर/इन्दौर, म.प्र.।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
- कलेक्टर जिला-होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
- प्रमुख राजस्व आयुक्त, सी.सी.बिल्डिंग, माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर, म.प्र.शासन, भोपाल।
- प्रभारी अधिकारी उपायुक्त (राजस्व) जिला- होशंगाबाद की ओर अग्रेषित। प्रकरण से संबंधित अभिलेख प्राप्त करें इसके साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण-पत्र, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपनी प्रत्येक भेट(विजिट) शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेत् अग्रेषित, मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये। मामले की स्नवाई तारीख ---------- हेत् नियत की गई है।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग